



एम.पी.स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
पंचानन, तृतीय तल, मुख्यालय, भोपाल
Email : mpagrohobpl@gmail.com Phone No (0755)- 2761392, FAX: (0755) 2557305
बाबई 9131169687

किराये पर कम्बाईन हार्वेस्टर से गेहूँ एवं धान की फसल की

कटाई एवं परिवहन कार्य हेतु

निविदा प्रपत्र 2021



एम.पी.स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
पंचानन, तृतीय तल, मुख्यालय, भोपाल
Email : mpagrohobpl@gmail.com Phone No (0755)- 2761392, FAX: (0755) 2557305
बाबई 9131169687

क्रमांक / मुख्या / बाबई / 2021 /

दिनांक

किराये पर कम्बाईन हार्वेस्टर से गोहूँ एवं धान की फसल कटाई एवं परिवहन कार्य हेतु निविदा
की समय-सीमा

निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1000 /—(नगद)

मेसर्स श्रीसे
निविदा प्रपत्र के मूल्य हेतु राशि रुपये 1000 (रुपये एक हजार मात्र) मनी रसीद क्रमांक
.....दिनांकसे प्राप्त किये गये ।

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की निर्धारित समय सीमा दिनांक 10.02.2021 को दोपहर 1.00 बजे तक
पूर्ण निविदा प्राप्त करने की समय सीमा दिनांक 10.02.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे तक
पूर्ण निविदा खोलने की समय सीमा दिनांक 10.02.2021 को अपरान्ह 4.00 बजे
पश्चात के

प्रबंधक (बाबई)



एम.पी.स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
पंचानन, तृतीय तल, मुख्यालय, भोपाल
Email : mpagrohobpl@gmail.com Phone No (0755)- 2761392, FAX: (0755) 2557305
बाबई 9131169687

क्रमांक / मुख्या / बाबई-35 / 2021 /

दिनांक 29.01.2021

**किराये पर कम्बाईन हार्वेस्टर से गेहूँ एवं धान फसल की कटाई एवं परिवहन की दरों हेतु
निविदा सूचना**

निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र, बाबई जिला होशंगाबाद में उपलब्ध 140 एकड़ गेहूँ एवं 80 एकड़ धान (प्रस्तावित) की फसलों की कटाई एवं परिवहन हेतु निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद निविदा दिनांक 10.02.2021 को आमंत्रित की जाती है ।

निविदा प्रपत्र निगम मुख्यालय एवं बाबई प्रक्षेत्र से राशि रू. 1000/- नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है, प्रस्तुत जानकारी निगम की वेबसाईट पर देखी जा सकती है **www.mpagro.org**. पर उपलब्ध है । निविदा सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुये उपर्युक्त वेबसाईट पर दी जावेगी ।

प्रबंधक(बाबई)



एम.पी.स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
पंचानन, तृतीय तल, मुख्यालय, भोपाल
Email : mpagrohobpl@gmail.com Phone No (0755)- 2761392, FAX: (0755) 2557305
बाबई 9131169687

क्रमांक / मुख्या / बाबई / 2021

दिनांक

किराये पर कम्बाईन हार्वेस्टर से गेहूँ एवं धान फसल की कटाई एवं परिवहन की दरों हेतु निविदा की शर्तें

1. निविदाकर्ता का स्वयं का कम्बाईन हार्वेस्टर होना आवश्यक है । यदि स्वयं का कम्बाईन हार्वेस्टर न हो तो कम्बाईन हार्वेस्टर के मालिक का अधिकार—पत्र मूलतः संलग्न करना आवश्यक है ।
2. कम्बाईन हार्वेस्टर के आर.टी.ओ., बीमा, सेवाकार विभाग में पंजीयन संबंधी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
3. एक दिवस में कम से कम 10 घण्टे के लिए हार्वेस्टिंग का कार्य करने हेतु निविदाकर्ता सहमत हो ।
4. निविदाकार के पास निम्नानुसार न्यूनतम निम्न स्पेसिफिकेशन का कम्बाईन हार्वेस्टर होना आवश्यक है :-
 - 4.1. हार्वेस्टर न्यूनतम 90 एच.पी. का हो । समान दर होने पर अधिक हार्स पावर के कम्बाईन हार्वेस्टर वाले निविदाकार को प्राथमिकता दी जायेगी ।
 - 4.2. दरों की तुलना करते समय नए कम्बाईन हार्वेस्टर को प्राथमिकता दी जाएगी तथा दिनांक 31.03.2017 के पूर्व के रजिस्टर्ड कम्बाईन हार्वेस्टर को स्वीकार नहीं किया जाएगा । कटाई एवं परिवहन दोनों की दर देने वाले निविदाकर्ताओं को संयुक्त दरों को मान्य किया जावेगा ।
 - 4.3. कम्बाईन हार्वेस्टर का कटर ब्लेड न्यूनतम 4000 एम.एम. का हो ।
 - 4.4. कम्बाईन हार्वेस्टर की अधिकतम कटिंग हाईट 100 एम.एम. मान्य की जाएगी ।
 - 4.5. कम्बाईन हार्वेस्टर की क्षमता न्यूनतम 2.00 एकड़ प्रति घण्टा हो ।
5. प्रक्षेत्र में कटाई कार्य हेतु एक से अधिक कम्बाईन हार्वेस्टर की आवश्यकता होने पर निविदाकार को दो कम्बाईन हार्वेस्टर उपलब्ध कराने होंगे । दूसरे हार्वेस्टर की कार्य क्षमता उपरोक्त आर्हताओं के अनुरूप होनी चाहिये । निविदाकार को प्रपत्र—अ में सभी जानकारी प्रस्तुत करना होगा ।
6. कम्बाईन मशीन से कितने घंटे / कितने एकड़ कटाई का कार्य किया है, उसकी जानकारी संकलित कर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर सहित दी जाना होगी ।

7. निविदा की सामान्य शर्तें -

1. निविदा प्रपत्र के पृष्ठ क्रमांक 1 पर उल्लेखित दिनांक एवं समय पर ही दरें प्राप्त की जाएंगी । निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा । यदि उस दिन किसी भी प्रकार का अवकाश घोषित होता है, तो आगामी कार्य दिवस में निविदा संबंधी कार्यवाही की जावेगी ।
2. बिना संकल्प धनराशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं की जाएगी । संकल्प राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो "दि एम पी स्टेट एग्री इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि." के नाम से भोपाल देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है । जिस निविदाकार की दरों को स्वीकार कर अनुबंध कर लिया गया है, उनक द्वारा जमा संकल्प धनराशि धरोहर राशि के रूप में जमा रहेंगी ।
3. निविदा सूचना में उल्लेखित गेहूँ की फसल का क्षेत्र-140 एकड़ एवं धान की फसल का क्षेत्रफल 80 एकड़ अनुमानित है, इसमें बढ़ोतरी अथवा कमी हो सकती है, जिसे अनुबंधकर्ता को मान्य करना होगा ।
4. जो दर प्रस्तुत की जाएगी वह प्रति एकड़ के मान से दी जाएगी । दरों में सभी प्रकार के व्यय, कर ड्यूटी इत्यादि सम्मिलित होंगे । निविदाकार द्वारा दरें संलग्न प्रपत्र-ब में प्रस्तुत की जायेगी । जो लिफाफा क्र. 02 में रखा जावेगा ।

4.1 प्राप्त दरों पर किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जावेगी । अतः निविदाकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे गेहूँ एवं धान की फसल की कटाई एवं परिवहन कार्य हेतु अपनी न्यूनतम दर देवें । निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे समिति द्वारा अनुशंसित दर का प्रति प्रस्ताव न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले वैद्य निविदाकार को दें अथवा सभी वैद्य निविदाकर्ताओं को पुनः निर्धारित तिथि एवं समय तक बंद लिफाफे में दर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें । (यह प्रक्रिया स्नेप बिडिंग कहलायी जायेगी)

4.2 निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राप्त दरों के तुलनात्मक अध्ययन कर दरों के निर्धारण हेतु अनशंसायें निगम के प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की जायेगी । प्रबंध संचालक द्वारा कंडिका क्र. 4.1 के आधार पर नियमानुसार निर्णय लेते हुये दरों का निर्धारण किया जायेगा ।

8. निविदा दो लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत की जाना है । लिफाफा क्र.1 एवं लिफाफा क्र. 2 पर निविदाकार स्वयं का नाम एवं पता आवश्यक रूप से लिखे तथा इन दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखा जाये तथा सीलबंद किया जाये । बड़े लिफाफे पर "कम्बाईन हार्वेस्टर से गेहूँ एवं धान की फसल की कटाई एवं परिवहन कार्य हेतु निविदा" लिखा जाए । सर्वप्रथम लिफाफा क्र. 1 खोला जायेगा जिसमें निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर एवं धरोहर राशि (बैंक ड्राफ्ट) की जाँच की जायेगी। सभी आवश्यकता पूर्ण होने पर ही लिफाफा क्र.-2 खोला जायेगा । दर लिफाफा क्र.-2 में प्रस्तुत की जाये ।

संकल्प धन राशि – सफल निविदाकर्ता की संकल्प धनराशि अनुबंधित कार्य निष्पादित होने तक धरोहर राशि के रूप में निगम के पास सुरक्षित रखी जायेगी, जिस पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

9. सामान्य रूप से प्रातः 8.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक कंबाईन हार्वेस्टर का कार्य करवाया जाएगा और आवश्यकतानुसार प्रक्षेत्र प्रभारी की अनुमति से अतिरिक्त समयावधि में भी कार्य करवाया जा सकता है ।
10. प्रक्षेत्र प्रभारी बाबई द्वारा अवगत कराने के 48 घण्टे के अंदर निविदादार को अनिवार्य रूप से कंबाईन हार्वेस्टर उपलब्ध कराना होगा । विलम्ब की स्थिति में प्रक्षेत्र प्रभारी अन्य प्रायवेट कम्बाईन हार्वेस्टर से कटाई कार्य करवाने के लिये स्वतन्त्र होंगे व इस दशा में निगम द्वारा अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली निविदाकार के देयकों एवं धरोहर राशि से की जावेगी ।
11. निगम द्वारा अनुबंधकर्ता को ट्रेक्टर ट्राली एवं अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध नहीं करवाये जायेंगे ।
12. डीज़ल, ल्यूब्रीकेंट एवं अन्य किसी भी प्रकार की दरों में यदि कोई वृद्धि होती है तो निगम द्वारा स्वीकृत दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी तथा स्वीकृत दरों पर ही निविदाकर्ता को कार्य करना होगा। वाहन के संधारण पर होने वाली टूट-फूट, बैटरी, टायर ट्यूब पंचर आदि के संपूर्ण व्यय की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी ।
13. वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा रोड टैक्स एवं शासकीय कर संबंधी दस्तावेज की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियाँ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी तथा मूल कागजात निगम कार्यालय से सत्यापित करवाने होंगे व मूल दस्तावेज हर समय वाहन में उपलब्ध रहना अनिवार्य है ।
14. कंबाईन हार्वेस्टर से जो उपज प्राप्त होगी, उसे प्रक्षेत्र प्रभारी द्वारा बताए गए स्थान तक पहुंचाकर खाली कराने का उत्तरदायित्व अनुबंधकर्ता का होगा ।
15. अनुबंधकर्ता द्वारा किए गए कार्य का सत्यापन प्रक्षेत्र प्रभारी द्वारा किया जाएगा तथा नियमानुसार कर काटने के पश्चात् शेष राशि का 80 प्रतिशत भुगतान प्रत्येक सप्ताह किया जाएगा । पूर्ण कटाई के पश्चात् शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा ।
16. कंबाईन हार्वेस्टर चलाने वाले वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए जिसका सत्यापन प्रक्षेत्र प्रभारी द्वारा किया जा सकेगा । यदि कंबाईन हार्वेस्टर की वजह से प्रक्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है तो उसकी भरपाई करने का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा ।

17. ड्राईवर को समय पर पाबंद होना तथा मदिरा अथवा अन्य व्यसन रहित एवं अच्छे व्यवहार चाल-चलन वाला होना अनिवार्य है ।
18. कंबाईन हार्वेस्टर से किसी भी प्रकार की दुर्घटना मानवीय क्षति नहीं होना चाहिए । ऐसी दुर्घटना एवं मानवीय क्षति के लिए विधिवत् क्षतिपूर्ति हेतु अनुबंधकर्ता उत्तरदायी रहेंगे ।
19. अनुबंधकर्ता के किसी भी कृत्य के कारण यदि प्रक्षेत्र में कोई भी हानि होती है तो ऐसी क्षति का निर्धारण निगम के प्रबंध संचालक करेंगे एवं इस क्षतिपूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व अनुबंधकर्ता का होगा
20. देयकों से नियमानुसार प्रचलित दर पर टी.डी.एस.एवं अन्य कोई शासन द्वारा अधिरोपित कर की कटौती की जायेगी । इस हेतु अनुबंधकर्ता को फर्म/व्यक्ति के प्रकरण में पेन नंबर/जी.एस.टी. नंबर देना होगा, जिसका उल्लेख निविदा/देयकों पर होना अनिवार्य है । इसी आधार पर संबंधित को टी.डी.एस.प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा ।
21. सफल निविदाकार को रूपये 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा जिसका प्रपत्र संलग्न है ।
22. अनुबंधकर्ता एवं निगम के मध्य निष्पादित अनुबंध को निगम द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिये कार्य की उपयुक्ता एवं गुणवत्ता को देखते हुये आपसी सहमति से बढ़ाये जाने का अधिकार निगम प्रबंध संचालक का सुरक्षित रहेगा ।
23. **संकल्प धनराशि निम्न स्थिति में जप्त की जा सकेगी :-**
1. निगम द्वारा दरों को स्वीकार करने के पूर्व निविदा को वापस लेने की दशा में
 2. दी गई समयावधि में अनुबंध निष्पादित न करने की दशा में (प्रपत्र 'स' के प्रारूप अनुसार) ।
 3. प्रक्षेत्र प्रभारी द्वारा दी गई समय सीमा में कम्बाईन हार्वेस्टर उपलब्ध न कराने की दशा में ।
24. **धरोहर राशि जप्त की जा सकती है -**
1. समयसीमा में कार्य सम्पन्न न होने पर ।
 2. प्रक्षेत्र में निविदाकर्ता या उसके वाहन चालक द्वारा ऐसा कृत्य करने से जिससे निगम को हानि हो या निगम की छवि धूमिल होती हो ।
 3. ऐसे अन्य कारण जिन्हें निगम के प्रबंध संचालक उचित समझते हों ।

25. निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ यह होगा कि निविदाकार द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तों को पढ़कर एवं समझने के उपरांत ही दी गई शर्तों से सहमत होने की दशा में निविदा प्रस्तुत की गई है ।
26. निगम के प्रबंध संचालक किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत / अस्वीकृत कर सकेंगे ।
27. यदि कार्य के अंतर्गत कोई विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो निविदाकार एवं प्रक्षेत्र प्रभारी आपस में विवाद का निपटान करेंगे । निपटान न होने की दशा में प्रकरण निगम मुख्यालय के उप महाप्रबंधक (बाबई) को प्रस्तुत किया जाएगा एवं उनके द्वारा लिए गए निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में निगम के प्रबंध संचालक आर्बीट्रेटर के रूप में आदेश जारी कर सकेंगे । आर्बीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में प्रकरण में न्याय क्षेत्र भोपाल जिले के लिये अधिकृत न्यायालय होगा ।

प्रबंधक(बाबई)



एम.पी.स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
पंचानन, तृतीय तल, मुख्यालय, भोपाल
Email : mpagrohbpl@gmail.com Phone No (0755)- 2761392, FAX: (0755) 2557305
बाबई 9131169687

प्रपत्र -अ

कम्बाईन हार्वेस्टर के स्पेसिफिकेशन

क्रं	विवरण			अन्य स्पेसिफिकेशन	विशेष
	मेक	हार्सपावर	रजिस्ट्रेशन		
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम.....

निविदाकर्ता का पता

.....(दूरभाष सहित)



एम.पी.स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
पंचानन, तृतीय तल, मुख्यालय, भोपाल
Email : mpagrohobpl@gmail.com Phone No (0755)- 2761392, FAX: (0755) 2557305
बाबई 9131169687

प्रपत्र – ब

(लिफाफा क्रं0 2 में रखा जाना है)

प्रति,

प्रबंध संचालक
एम पी स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह कापो लिमि.
पंचानन भवन ,तृतीय तल,मालवीय नगर
भोपाल
विषय:निविदा प्रस्तुत करने बाबत ।

संदर्भ:-निविदा सूचना क्र. दिनांक

समाचार पत्र में यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र, बाबई में कम्बाईन हार्वेस्टर से गोहूँ एवं धान की फसल की कटाई एवं परिवहन की दरों हेतु प्रकाशित संदर्भित निविदा के अनुसार तथा निर्धारित समस्त शर्तों को मान्य करते हुये निम्नानुसार दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ :

गोहूँ की फसल (अवधि मार्च-अप्रैल 2021)

क्रं	विवरण	दर प्रति एकड़ (रूपये में)	
		अंकों में	शब्दों में
1	कटाई एवं परिवहन		

धान की फसल (अवधि अक्टूबर-नवम्बर 2021)

क्रं	विवरण	दर प्रति एकड़ (रूपये में)	
		अंकों में	शब्दों में
1	कटाई एवं परिवहन		

संकल्प धनराशि का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक.....दिनांक.....राशि रू.....
.....जो एम पी स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह कारपो लिमि के नाम से भोपाल पर देय है, उसे लिफाफा
क्र. एक में रख गया है ।

दिनांक-

निविदाकार के हस्ताक्षर

- 1 नाम.....
- 2 पता.....
- 3 दूरभाष./ मोबाईल क्र.....
- 4 जी.एस.टी न.....
- 5 पेन.कार्ड
- 6 बैंक खाता क्र.....



एम.पी.स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
पंचानन, तृतीय तल, मुख्यालय, भोपाल

Email : mpagrohbpl@gmail.com Phone No (0755)- 2761392, FAX: (0755) 2557305
CIN NO-UO1119mp1969GC001055

बाबई—9424928506

प्रपत्र “स”—

:: अनुबंध ::

(राशि रु. 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज किया जाना है)

यह अनुबंध आज दिनांक को एम पी स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन जो कि म.प्र. शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधीनस्थ है तथा आगे इसे “निगम” कहा जावेगा एवं मेसर्स की ओर से श्रीजिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे अनुबंधकर्ता कहा जावेगा के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर किराये पर कंबाईन हार्वेस्टर से गेहूँ एवं धान की फसल की कटाई एवं परिवहन हेतु निविदा दिनांक 10.02.2021 को आमंत्रित की गई एवं निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र निगम की ओर से कय करते हुये एवं शर्तों को मान्य करते हुये आफरकर्ता द्वारा निविदा में भाग लिया गया है । निविदा प्रपत्र भी इस अनुबंध का हिस्सा है । निगम द्वारा अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक से निविदाकर्ता की निविदा में उल्लेखित दरों को को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा अनुबंधकर्ता की कंबाईन हार्वेस्टर एवं परिवहन कार्य हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है, का विवरण संलग्न परिशिष्ट “ब” पर उल्लेखित है एवं अनुबंधकर्ता निविदा की निर्धारित शर्तों के अनुसार निगम के माध्यम से कार्य करने हेतु सहमत हैं ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्तें एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होंगे । यदि अनुबंधकर्ता शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन करता है तो निगम पूर्ण रूप से निगम की शर्तों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा

1. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्तें ।
2. निविदाकर्ता का सहमति पत्र दिनांक
3. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर प्रस्ताव व संलग्न जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्तें अनुबंध का हिस्सा रहेंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक..... को संपादित किया जाता है ।

अनुबंधकर्ता का नाम

प्रभारी

यांत्रिकी कृषि प्रक्षत्र बाबई

गवाह :

गवाह :